राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 340 दिनांकः 15.01.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 43766–67 दिनांक 26.12.2017 से पुलिस थाना उन्हैल के अभियोग सं0 19 / 17 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पूरसिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह जाति सौध्या राजपूत उम्र 68 साल निवासी उन्हैल जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.03.17 को थानाधिकारी प्रहलाद सिंह मय हमराही जाप्ता के अवैध कार्य चेंकिग गुण्डा बदमाशान हेतु थाने से रवाना होकर कस्बा उन्हैल होते हुए बस स्टेण्ड पेट्रोल पंप चौमेहला रोड पर जर्ये मुखबिर इत्तला मिली कि पूर सिंह पुत्र निर्भय सिंह जाति सौध्या राजपूत निवासी उन्हैल एक दो नाली बदूंक लेकर अपने लखारा वाले खेत पर गया है इस इत्तला पर थानाधिकारी मय जाप्ता उक्त सांकेतिक स्थान पर पहुंचे, जहां पूर सिंह बदूंक हाथ मे लिये नजर आया जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसको हमराही जाप्ते की मदद से डिटेन कर नाम पता पूछा तो अपना नाम पूर सिंह पुत्र स्व0 निर्भय सिंह होना बताया। बदूंक के अनुज्ञापत्र के संबध मे पूछा तो अनुज्ञापत्र उसके पास होना नही बताया जिस पर विधिसम्मत कार्यवाही कर वापसी थाना पर अपराध सं. 19 / 17 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया गया। बयान गवाहान लेखबद्व किये। जप्तशुदा हथियार का मेकेनिक मुआयना आरमोरर पुलिस लाईन झालावाड से कराया जाने पर जप्तशुदा दो नाली बदूंक 12 बोर बीएल गन है, जो कंपनी द्वारा निर्मित है। बोडी पर अग्रेंजी मे भारत स्माल आर्म्स (पी) लिमिटेड 98000–2004 अंकित है। उक्त गन फायर करने योग्य एंव फायर आर्म्स की जद मे आना बताया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र नही होना पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कैलाशचंद एचसी 419 पुलिस थाना उन्हेल व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यशवंत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड दो नाली बदूंक को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त पूरसिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह जाति सौध्या राजपूत उम्र 68 साल निवासी उन्हैल जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / लायसेंस / रिनीवल / न्याय / 2018 / 167

दिनांक 08 .01.2018

आदेश

निम्न शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियो द्वारा उनके पक्ष मे जारी अनुज्ञापत्रो को अवधि 01.01.2017 से 31.12.201 तक नवीनीकरण किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए जाने पर उनके चरित्र एंव आपराधिक प्रकरणो के संबध पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट प्राप्त किए जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके पत्र क्रमांक 8983 दिनां 30.06.2017 से अनुज्ञापत्रधारियो के विरूद्व संबधित थाने मे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय विचाराधीन होने से नवीनीकरण किए जाने मे असहमति रिपोर्ट प्रेषित की है।

अतः आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियो के आलोक मे निम्न शस्त्र अनुज्ञापत्रधारिय के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक की असहमति रिपोर्ट प्राप्त होने से उनके पक्ष मे जारी शस अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र को संबधित थाने अविलम्ब जमा करा पालना से अवगत करावे।

क्र.स.	नाम अनुज्ञापत्रधारी	थाना	अनुज्ञापत्र सं0	यूनिक आईडी न.
1	श्री बद्रीलाल पुत्र कालूलाल बागरी निवासी पनवासा	असनावर	298 / आउट	2951800214112320
2	श्री गजानंद दांगी पुत्र भंवरलाल निवासी सुवास	रायपुर	1629	295180011337452
3	श्री राजेश गुप्ता पुत्र रामरतन निवासी करावन	पगारिया	1719	295180005338742
4	श्री दुर्गालाल पुत्र कन्हैयालाल गुराडियाजोगा	मिश्रोली	1520	295180002304002
5	श्री राजाराम नागर पुत्र शिवचरण धाकड गुरजेनी	खानपुर	1525	295180017323582
6	श्री मदन लाल पुत्र रामचन्द्र मीणा लुहारिया	अकलेरा	264	295180001952882

sd
(डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड
दिनांक 08.01.2018

क्रमांक / न्याय / आर्म्स / 2018 / 167-182

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– जिला मजिस्ट्रेट हिसार हरियाणा को उनके द्वाराजारी शस्त्र अनुज्ञापत्र स0 421–12–डीएम / एचएसआर दिनांक 29.12.92 बद्रीलाल पुत्र कालूलाल बागरी निवासी पनवासा को निरस्त करने के संबध में।

2– पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड

3– उप निदेशक, सूचना एंव जनसंपर्क विभाग, झालावाड

4– संबधित थानाधिकारी ———————————को प्रेषित कर लेख है कि आपके क्षेत्र से संबधित अनुज्ञापत्रधारी के अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र को अपने थाने मे जमा कराकर कार्यालय को रिपोर्ट भिजवावे।

5– अनुज्ञापत्रधरी श्री ——————————————————————————— क प्रेषित कर लेख है कि अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र को संबधित थाने मे तत्काल जमा करावे।

जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड